



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062024-254538
CG-DL-E-04062024-254538

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]
No. 391]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 2024/ज्येष्ठ 14, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2024/JYAISHTHA 14, 1946

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 मई, 2024

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (889)—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 1734 (भाग 4) - 1983 प्लाइवुड के लिए परीक्षण पद्धतियाँ भाग 4 गोंद शीअर शक्ति का निर्धारण (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 4 मई 2024	28 मई 2024	27 अगस्त 2024

पी राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)
[विज्ञापन-III/4/असा./161/2024-25]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2024

Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (889)—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 1734 (Part 4) - 1983 Methods of Test for Plywood Part 4 Determination of Glue Shear Strength (Second Revision)	Amendment No. 4 May 2024	28 May 2024	27 August 2024

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./161/2024-25]